



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डीग(राज0)

'कैम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट परिसर डीग'

प्र0सं0 12/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2024/213)

पीठारसीन अधिकारी:-श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

चन्द्रपाल पुत्र श्री पातरिया जाति जाटव निवासी ग्राम जाटव नि0 खेडा ब्राह्मण तहसील व जिला डीग(राज0)

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय

दिनांक: 10.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, इस आशय का पेश किया गया है कि खाता संख्या 505 के आराजी खसरा नम्बर 2368/0.27, हिस्सा 1/2 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग में स्थित है। जोकि प्रार्थी की पैत्रिक कब्जे काशत गैर खातेदारी की आराजी है जो पूर्व में प्रार्थी के पिता पातरिया के नाम थी और उनके देहांत हो जाने के बाद विरासतन प्रार्थी के नाम दर्ज हुई, जिसमें प्रार्थी का सहवन से मुंहबोला नाम डूगरिया पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग जिला डीग दर्ज कर दिया गया था जबकि प्रार्थी का सही नाम व पता चन्द्रपाल पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग है, उक्त आराजी पर प्रार्थी अपने हिस्सा पर मुताविक जमाबन्दी काबिज काशत चला आ रहा है। प्रार्थी के आधार पर कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में चन्द्रपाल पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी ग्राम जाटव मौहल्ला खेडा ब्राह्मण तहसील डीग अंकित है मगर राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 505 आराजी खसरा नम्बर 2368/0.27 हिस्सा 1/2 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग में प्रार्थी का नाम सहवन से डूगरिया पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा ब्राह्मण गलत अंकित किया जा रहा है, जबकि प्रार्थी का जन्म से ही एवं अन्य समस्त दस्तावेजात में चन्द्रपाल पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग नाम अंकित है जो सही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार कर खाता संख्या 505 के आराजी खसरा नम्बर 2368/0.27 का हिस्सा 1/2 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग में स्थित में प्रार्थी का नाम डूगरिया पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग गलत दर्ज हो रहा है जिसके स्थान पर चन्द्रपाल पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांक: एलआर/2024/2439 दिनांक 22.10.2024 में अंकित किया गया है कि "खाता संख्या 505 में खसरा नम्बर 2368/0.27 पर डूगरिया,मौहर सिंह पिस0 पातरिया हि.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.



बरा.जाति जाटव सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जबकि मौके की रिपोर्ट अनुसार डूगरिया का सही नाम चन्द्रपाल है। डूगरिया के सहखातेदारों में भी मौके पर यही जानकारी दी कि चन्द्रपाल को ही डूगरिया कहते हैं तथा डूगरिया के आधार कार्ड व जन आधार कार्ड राशन कार्ड में भी चन्द्रपाल ही दर्ज है,रिकार्ड में सहवन से आम बोलचाल के अनुसार गलत दर्ज हो गया है।”

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थी के नाम को डूगरिया के स्थान पर चन्द्रपाल जाति किये जाने के आदेश फरमायें।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,तहसीलदार डीग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम को डूगरिया के स्थान पर चन्द्रपाल दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। खांता संख्या 505 के आराजी खसरा नम्बर 2368/0.27, हिस्सा 1/2 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम को डूगरिया पुत्र पातरिया के स्थान पर चन्द्रपाल पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी खेडा ब्राह्मण तहसील व जिला डीग दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।



(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,

**उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.**

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,

डीग

**उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.**

